

रजिस्ट्रार सं. डी. (डी.)-72



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 535] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 1980/अग्रहायण 6, 1902  
No. 535] NEW DELHI THURSDAY, NOVEMBER 27, 1980/Agrahayana 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

निदेश संज्ञालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1980

क्रा. भा. 825(अ).—केंद्रीय सरकार, राज्यक्षेत्रीय गागर-खण्ड, महादेशीय  
मनसतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामूहिक क्षेत्र अधिनियम, 1976  
(1976 का 80) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती  
है कि द्वारका, पौरबन्दर, मुम्बई, रत्नगिरि, मंगलौर, वास्कोदागामा, कोचीन,  
रामनाथपुरम, मद्रास, विशाखापत्तनम, जगतसिंहपुर, ताम्लुक और पोर्ट ब्लेयर  
उक्त धारा के प्रयोगों के लिए स्थान होंगे।

[क्रा. सं. एल/111/19/1980]

एन. पी. जगता, अवर सचिव (एल एण्ड टी)

951 G1/80

(1811)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1980

S.O. 925(E).—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby directs that Dwarka, Porbandar, Bombay, Ratnagiri, Mangalore, Vasco-da-gama, Cochin, Ramanathapuram, Madras, Vishakhapatnam, Jagatsinghpur, Tutukudi and Port Blair shall be the places for the purposes of the said section.

[F. No. L/111/19/1980]

S. P. JAGOTA, Additional Secretary (L&T)